

फर्द अहकाम

(नियम 26)

डी.रा.रा. १/१० एस्टे में 11/23

अज अदालत: अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गीता बाई बनाम कृष्णलाल वगैरा

अपील प्रकरण सं० ०५/2023

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
2.03.2023	अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 28.03.2023 को पेश हो।	427/20 427
28.3.23	पत्रावली पेश हुई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 19/4/23 को पेश हो।	
19/4/23	पीठासीन अधिकारी अहकाम भरण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/5/23 को पेश हो।	
17/5/23	वार संच के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 15/6/23 को पेश हो।	
17/6/23	पीठासीन अधिकारी अहकाम भरण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/8/23 को पेश हो।	
19/8/23	पीठासीन अधिकारी अहकाम भरण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 22/9/23 को पेश हो।	
22/9/23	पीठासीन अधिकारी अहकाम भरण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 07/11/23 को पेश हो।	
07/11/23	पीठासीन अधिकारी अहकाम भरण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 19/1/24 को पेश हो।	

24.3.26

अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी
को लगभग तलवना फंड भरने की हिदायत
ही गई। पत्रावली वास्तु तलेबी/फिर्स
तलेबी फिर्स 22.4.26 को फंड ही 2

22/4/26

बार संप्रति हाम कारी स्थिति कम क कारी
आर अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं
शेता मीन अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये हैं
पत्रावली दिनांक 02-6-26 को पेश है

02.06.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित
नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी को पृथक-पृथक समय पर
रुक-रुक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे
हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी,
अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति
सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं
रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर
नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला
अभिलेखागार में जमा कराई जावे।
आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर